



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

जनहित याचिका संख्या – 567 वर्ष 2026

मो० अजीम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव शहरी विकास, लखनऊ

एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:प्रेम शंकर, महेंद्र कुमार द्विवेदी
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, शैलेन्द्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या –3

माननीय न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवार

याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह को सुना गया।

प्रस्तुत याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है:-

“i) प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को परमादेश के स्वरूप में कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी

कर यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए कि गाटा संख्या 377 सा./1.3020 हेक्टेयर,

जो चिनहट, लखनऊ में स्थित आबादी के रूप में दर्ज है, पर कोई अवैध निर्माण न किया

जाए, जैसा कि रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में संलग्न फसली 1428-1432 की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

खतौनी से स्पष्ट है।

ii) प्रतिवादी संख्या 3 को परमादेश के स्वरूप में कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी कर याचिकाकर्ता तथा आम जनता द्वारा बार-बार दिए गए अभ्यावेदनों में उठाई गई शिकायतों पर विचार करने और आम जनता की शिकायतों के निवारण हेतु तर्कसंगत एवं सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए, ताकि भविष्य में सार्वजनिक भूमि पर और अधिक अवैध निर्माण न हो सके।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने लिखित निर्देशों के आधार पर याचिका का विरोध किया है, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया है। निर्देशों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें मो. मुजम्मिल भी शामिल है, जिसका कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27.08.2025 को बीएनएसएस की धारा 126, 135 और 170 के तहत चालान किया गया था।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का इस विवाद से कोई सरोकार नहीं है और वह मात्र एक हस्तक्षेपकर्ता (बिजीबॉडी) है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिका में तथ्य संबंधी विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिनका न्यायनिर्णयन रिट अधिकारिता के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दो अवसरों पर समझौते हुए थे, पहला 03.03.1970 को और तत्पश्चात 12.06.2017 को।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सम्यक विचार करने और अभिलेख के अवलोकन के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया विवाद दो समुदायों के सदस्यों के बीच लंबे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समय से विद्यमान विवाद से संबंधित है। अभिलेख पर लाई गई सामग्री यह भी दर्शाती है कि सक्षम प्राधिकारी पहले से ही मामले पर संज्ञान ले चुके हैं और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

अभिलेख यह भी दर्शाता है कि राज्य के अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय किए हैं और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही भी शुरू की है। अतः, प्रशासन द्वारा कानून के अनुसार उचित कदम उठाए गए प्रतीत होते हैं।

जहाँ तक याचिकाकर्ता का प्रश्न है, वह कथित कार्रवाई से प्रभावित किसी भी व्यक्तिगत या कानूनी अधिकार को प्रदर्शित करने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता निजी पक्षों के बीच 03.03.1970 और 12.06.2017 को किए गए समझौतों पर भरोसा करना चाहता है। हालाँकि, उक्त समझौतों के किसी भी पक्ष को वर्तमान याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है। याचिकाकर्ता वर्तमान कार्यवाही को बनाए रखने के लिए अपनी (लोकस स्टैंडर्ड) अधिकारिता स्थापित करने में भी विफल रहा है।

इसके अतिरिक्त, उठाए गए मुद्दों में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिनका न्यायोचित निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय अपनी असाधारण रिट अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है।

याचिका में कोई गुण-दोष नहीं है और तदनुसार, इसे निरस्त किया जाता है।

11 जून, 2026

मधु

(न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।